लोक–सुनवाई का वृत

सर्वश्री सुनीला एण्ड सन्स फिलिंग स्टेशन, जिला– लखीसराय द्वारा किउल नदी स्थित मौजा– शर्मा एवं मलिया, रेत ब्लॉक संख्या– 06 (कुल क्षेत्रफल– 68.8 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में **दिनांक 07.06.2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे ई–किसान भवन, रामगढ़ चौक, प्रखंड परिसर, जिला– लखीसराय** में लोक–सुनवाई की गयी।

यह लोक–सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/ 2057/ 2022, दिनांक 11.01.2023 के आलोक में श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता एवं अपर दंडाधिकारी, लखीसराय की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा– ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'', ''हिन्दुस्तान टाईम्स'', ''अपना भारत'', तथा ''अंग भारत'' के माध्यम से दिनांक **06.05.2023** को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक–सुनवाई के दौरान श्री एस.पी.राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, बरौनी, बेगूसराय के द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतू लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतू अनुरोध किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतिश कुमार ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरणीय दायित्व आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा किउल नदी स्थित मौजा– शर्मा एवं मलिया, रेत ब्लॉक संख्या– 06 (कुल क्षेत्रफल– 68.8 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा सुनीला एण्ड सन्स फिलिंग स्टेशन को इस खनन पट्टा के लिए वैधन्तिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक संख्या– 06 में प्रतिवर्ष 8,54,496 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹20.24 करोड़ (नीलामी लागत सहित) अनुमानित है।

2. बालू खनन खनन पट्टा के सीमा के अंदर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में विशेष उपाय दर्शाएं गए हैं।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर अनुमोदित खनन योजना के अनुरूप सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं होगा। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
4. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतू अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
5. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।
6. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों जैसे– मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी / सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना / मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
8. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाएं जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
9. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्रित किए गए खनिज (बालू) को ही निर्गत किया जाएगा।
10. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतू प्रतिदिन कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देता खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

योजना" के
ते दुष्प्रभावों के

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं–

क्रमांक	प्रतिक्रया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री नवीन कुमार, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा खनन परियोजना में बालू खनन के कारण होने वाले वाहनों के परिवहन से स्कूल को होने वाली परेशानी की समस्या को हल करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी मांग की गई।	स्कूल के समय में वाहनों का आवागमन नहीं होगा। गांवों का रास्ते का उपयोग कम से कम किया जाएगा। गाड़ियों के लिए वैकल्पिक रास्ते का उपयोग किया जाएगा। साथ ही निजी जमीन का निबंधन कर रास्ता बनाया जाएगा।
2.	श्री मनीष कुमार सिंह, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के वृक्षारोपण की जानकारी की मांग की गई।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि परियोजना में 690 वृक्षों का लगाया जाना प्रस्तावित है परंतु इससे कहीं अधिक सघन रूप से वृक्षारोपण किया जाएगा।
3.	श्री राजेश कुमार, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा बालू खनन से उत्पन्न धूलकण के रोकथाम के उपायों की जानकारी मांगी गई।	वृक्षारोपण धुलकणों को रोकने में सहायक है, इसलिए सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा जिससे धूलकणों का उत्सर्जन न्यूनतम किया जा सकेगा।
4.	श्री विनोद कुमार सिंह, ग्राम– सोन्धी, जिला– लखीसराय के द्वारा स्थानीय रोजगार की जानकारी मांगी गई।	खनन के कार्य में गांव के आसपास के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाईजर, मजदूर, ढुलाई, चालक, रात्रि प्रहरी, रसोईया, वनपोषक आदि शामिल होंगे। खनन प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले ही स्थानीय ग्रामीणों को इसकी सृजन होने वाले पदों एवं उसकी संख्या की सूचना दी जाएगी। लोगों के रोजगार के लिए कमिटी गठित की जाएगी जिसके द्वारा लोगों को स्थानीय रोजगार संबंधित जानकारी दिया जाएगा।
5.	श्री दिलीप कुमार सिंह, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा पूछा गया कि गांव के निकट जो सड़क गुजरती है, वहां गांव की सुरक्षा के लिए ब्रेकर की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही वाहनों के आवागमन से होने वाले धूलकणों के उत्सर्जन पर नियंत्रण की व्यवस्था भी होनी चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया है कि गांव की सुरक्षा तथा वाहनों की अनियंत्रित गति को नियंत्रण करने के लिए ब्रेकर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही बालू का ढुलाई तिरपाल से ढक कर किया जाएगा। रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।

6.	श्री मुकेश कुमार सिंह, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा पूछा गया कि खनन की जमीन के पुरब में माध्यमिक विद्यालय है। इसलिए वाहनों का गति पर नियंत्रण होना चाहिए।	परियोजना प्रस्तावक के आश्वासन दिया गया कि वाहन की गति को नियंत्रण में रखा जाएगा।
7.	श्री भुवनेश्वर कुमार महतो, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के सुझाव दिया गया कि शर्मा गांव से पैन तक बालू ढुलाई के क्रम में मार्ग में गिरने वाले बालू का उठाव सुनिश्चित किया जाए।	परियोजना प्रस्तावक के आश्वासन दिया गया कि बालू ढुलाई के क्रम में गिरने वाले बालू को सप्ताह में कम–से–कम दो बार उठाव किया जाएगा।
8.	श्री मुकेश कुमार, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा सुझाव दिया गया कि मार्ग में जल छिड़काव की व्यवस्था की जाए।	परियोजना प्रस्तावक के आश्वासन दिया गया कि रास्तों पर कम–से–कम तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा।
9.	श्री रौशन कुमार, ग्राम– शर्मा, जिला– लखीसराय के द्वारा पूछा गया कि गांव के मध्य में एक समरसेवल पंप है जो साल भर से बंद है। इसके मरम्मति की क्या व्यवस्था है।	परियोजना प्रस्तावक के आश्वासन दिया गया कि पंप के मरम्मति की व्यवस्था की जाएगी।

लोक–सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के प्रदूषण को नियंत्रण हेतू वर्णित उपायों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की कार्रवाई की जाएगी।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि0रा0प्र0नि0पर्षद्,
बेगूसराय।

अपर समाहर्ता
लखीसराय।

दिया गया
...पण में रखा

उपस्थिति सूची

सर्वश्री सुनीला एण्ड सन्स फिलिंग स्टेशन, जिला– लखीसराय के द्वारा लखीसराय जिला के अन्तर्गत मौजा– शर्मा एवं मलिया, रेत ब्लॉक संख्या– 06 (कुल क्षेत्रफल– 68.8 हेक्टेयर), जिला– लखीसराय में प्रस्तावित बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व ई–किसान भवन, रामगढ़ चौक, प्रखंड परिसर, लखीसराय में दिनांक 07.06.2023 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11:00 बजे आयोजित लोक–सुनवाई में स्थानीय लोगों एवं पदाधिकारीगण की स्वःहस्ताक्षरित उपस्थिति–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	पता	हस्ताक्षर
1	श्री सुधांशु शेखर, अपर समाहर्ता	जिला लखीसराय	[signature] 07/06/23
2	श्री एस0 पी0 राय, क्षेत्रीय पदाधिकारी	बि0रा0प्र0 नि0 पर्षद, बेगूसराय	[signature]
3	अमर कुमार शर्मा, अंचल अधिकारी, रामगढ़चौक	रामगढ़चौक	[signature] 07/06/23
4	श्री सुदर्शन कुमार, पदाधिकारी	बरबीघा, शेखपुरा	[signature] 7/6/23
5	गौतम कुमार सिन्हा, प्रखंड विकास पदा0, रामगढ़	रामगढ़ चौक	[signature] 07/06/23
6	श्री सुनील कुमार (खान निरीक्षक), लखी0	जिला- लखीसराय	[signature] 07/06/2023
7	श्याम कु0 सिंह	शर्मा	[illegible]
8	विक्की कुमार	शर्मा	Vicky ku
9	अनिल सिंह	शरमा	अनिल सिंह
10	दिलीप सिंह	शरमा	दिलीप सिंह
11	प्रवीण चौधरी	शरमा	प्रवीण चौधरी
12	फुलन सिंह	शरमा	
13	मुकेश सिंह	शर्मा	मुकेश सिंह
14	मुकेश कुमार	शरमा	मुकेश कुमार

15	विनोद कुमार सिंह	सोन्धी	विनोद कु
16	नवीन कुमार	शरमा	नवीन कुम
17	मुकुन्द कुमार	परसावाँ	मुकुन्दकुमार
18	राजकुमार	सोन्धी	राजकुमार
19	विपीन कुमार	सोन्धी	विपीन कुमार
20	मो० नौशाद आलम	प्रयडीह	मो० नौशाद आलम
21	धनजय सिंह	सोन्धी	धनजय सिंह
22	सुबोध कुमार सिंह	सोन्धी	सुबोध कुमार सिंह
23	संजय कुमार	शर्मा	
24	पवन सिंह	शर्मा	पवनसिंह
25	Rausman Kumar	शर्मा	Raushan Kumar
26	शान्तनु कुमार	शर्मा	शान्तनुकुमार
27	राजेश सिंह	शर्मा	राजेशसिंह
28	प्रदीप कुमार	शरमा	प्रदीप कुमा
29	छेदी लाल	शरकरहम	छेदी लाल
30	संजय सिंह	सोन्धी	संजय सिंह
31	प्रमोद सिंह	सोन्धी	प्रमोद सिंह
32	अजय कुमार	शर्मा	अजयकुमार

33	Chotu Rai	Sharma	Chotu Rai
34	संजय सिंह	सोनधी	संजय सिंह
35	गुलशन कुमार	शरमा	गुलशन कुमार
36	कुणाल कुमार	शरमा	कुणाल कुमार
37	मोहन मंडल	शरमा	मोहन मंडल
38	रिंकू कुमार	शरमा	रिंकू कुमार
39	Gulshan Kumar	Sondhi	Gulshan Kumar
40	Mitesh Kumar	शरमा	Mitesh ku
41	रिंकी कुमार	सोन्धी	रिंकी कुमार
42	सुनीत कुमार	शरमा	सुनीत
43	Shashi Rani	Sondhi	Shashi Rani
44	विपुल कुमार	शरमा	विपुल कु
45	पंकज सिंह	सोन्धी	पंकज कुमार
46	परवु सिंह	सोन्धी	परवु सिंह
47	शिवनंदन सिंह	सोन्धी	शिवनंदन सिंह
48	मनतोस सिंह	सोन्धी	मनतोस सिं
49	इन्द्र कुमार सिंह	सोन्धी	इन्द्र कुमार सिं
50	नारीन पंडीत	सोन्धी	नारीन पंडीत